

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2496
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

फर्जी विश्वविद्यालय

†2496. श्रीमती क्वीन ओझा:

श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फर्जी विश्वविद्यालयों के मालिकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गई है और सरकार द्वारा इन फर्जी विश्वविद्यालयों को असंबद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़ी संख्या में फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को धोखा दे रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास फर्जी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा छात्रों के पक्ष में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के प्रति जनता को सचेत करने के लिए नोटिस जारी करने के अलावा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (च): फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट <https://www.ugc.gov.in/page/Fake-Universities.aspx> पर उपलब्ध है। फिलहाल इस सूची में 19 संस्थान शामिल हैं।

केंद्र सरकार के साथ-साथ यूजीसी निर्दोष छात्रों को ऐसे विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के जाल से बचाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- i. यूजीसी समय-समय पर संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखता है।
- ii. यूजीसी ने इनमें से कुछ फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
- iii. यूजीसी ने ऐसे स्वयंभू संस्थानों के खिलाफ कारण बताओ/ चेतावनी नोटिस जारी किया है।
- iv. इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों से भी अनुरोध किया है कि ऐसे संस्थान और लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें जो स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके, डिग्री प्रदान करके और अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" का उपयोग करके छात्रों को धोखा देते हैं।
